



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-27112025-268021
CG-WB-E-27112025-268021

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5200]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947

No. 5200]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYANA 3, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व रेलवे/निर्माण संगठन)

अधिसूचना

कोलकाता, 24 नवम्बर 2025

का.आ. 5376(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व रेलवे/निर्माण संगठन) की अधिसूचना संख्या 4145, का.आ. 4509(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 में प्रकाशित, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

अधिसूचना संख्या 4145, का.आ. 4509(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 में, सारणी में क्रम संख्या (1) और स्तंभ (2), (3) और (4) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

क्रम सं.	विशेष रेल परियोजना का नाम	राज्य	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जलेश्वर से चंदनेश्वर नई लाइन (42.56 किमी)	ओडिशा	तहसीलदार, जलेश्वर, ओडिशा (तहसील क्षेत्राधिकार: जलेश्वर के लिये)।
			तहसीलदार, भोगराई, ओडिशा (तहसील क्षेत्राधिकार: भोगराई के लिये)।

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/ डीसीई/सी/केजीपी/ जलेश्वर से चंदनेश्वर/ एनएल/एसआरपी /3]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /(निर्माण)

(टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना संख्या 4145, का.आ. 4509(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 में प्रकाशित की गई।)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Eastern Railway/Construction Organization)

NOTIFICATION

Kolkata, the 24th November, 2025

S.O. 5376(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South Eastern Railway/Construction Organization) vide notification number 4145, S.O.4509(E), dated the 8th October, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th October, 2024, namely:

In the notification number 4145, S.O.4509(E), dated the 8th October, 2024, in the Table for Sl. no.1 and entries relating thereto in columns (2), (3) and (4) the following shall be substituted, namely:

Sl. No.	Special Railway Project	State	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jaleswar- Chandaneswar New line (42.56 Km.).	Odisha	Tahasildar, Jaleswar, Odisha (for Tahasil Jurisdiction: Jaleswar).
			Tahasildar, Bhograi, Odisha (for Tahasil Jurisdiction: Bhograi).

[F. No: SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C/KGP/Jaleswar- Chandaneswar/NL/SRP/3]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con)

(Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th October, 2024 vide notification number 4145, S.O.4509(E), dated the 8th October, 2024.)